



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265403
CG-DL-E-13082025-265403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947

No. 502]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 546(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 20च की उप-धारा (5) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में वास्तुकला ड्राइंग अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी और आशुलिपिक ग्रेड II के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- येनियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इनसे उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा

अथवा विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह

किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
1. सर्वेक्षण अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये)

क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद है	सीधे भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधे भर्ती से आने वालों हेतु शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन रिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (12वीं) परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण; और; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेक्षण में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; और (iii) सर्वेक्षेत्र में दोवर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधिसामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - (1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा संयुक्त सचिव (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा निदेशक (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वास्तुकला ड्राइंग अधिकारी	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक	विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -	लागू नहीं

क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला में डिग्री अथवा डिप्लोमा; और (ii) वास्तुकला के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा संयुक्त सचिव (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा निदेशक (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक ग्रेड II	3* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित),

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - (1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण या संयुक्त सचिव (एनएमए), संस्कृति	लागू नहीं

धारित किए हुए हो; अथवा; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता; और (ii) नियमित कार्य में अधिकारी की सहायता करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण या निदेशक (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण या अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय-सदस्य।	
---	--	--

[फा.सं. एनएमए-आरआर/2022/यूनेस्को/एमओएल(ई-59737)]

गुरमीत सिंह चावला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2025

G.S.R. 546(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 20F read with sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Architectural Drawing Officer, Survey Officer and Stenographer Grade II in the National Monuments Authority, namely: -

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the National Monuments Authority, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.**3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.**4. Method of recruitment, age - limit, qualification etc.—**The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.**5. Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Survey Officer.	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-7 (Rs. 44900- 142400) in the pay matrix.

Whether Selection post or non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): (a) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Organisations or Autonomous Organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Institutes: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Senior Secondary level (12 th) examination or equivalent pass; and	Departmental Selection Committee Consisting of: 1. Member Secretary, National Monuments Authority or Joint Secretary (NMA), Ministry of Culture - Chairperson; 2. Director, National Monuments Authority or Director (NMA), Ministry of Culture - Member; 3. Under Secretary, National Monuments Authority or Under Secretary, Ministry of Culture - Member.	Not applicable.

(ii) Diploma or Certificate with minimum duration of two years in surveying from a recognised institution or Diploma in Civil Engineering; and (iii) Two years' experience in surveying. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Architectural Drawing Officer.	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-7 (Rs. 44900- 142400) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): (a) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Organisations or Autonomous Organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Institutes: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-5 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in Architecture or Diploma from a recognised University or Institutes; and	Departmental Selection Committee Consisting of: 1. Member Secretary, National Monuments Authority or Joint Secretary (NMA), Ministry of Culture - Chairperson; 2. Director, National Monuments Authority or Director (NMA), Ministry of Culture - Member; 3. Under Secretary, National Monuments Authority or Under Secretary, Ministry of Culture - Member.	Not applicable.

(ii) having at least three years of experience in the field of architecture. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Stenographer Grade II.	03* (2025) *Subject to variation depending on workload.	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government.	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): (a) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Organisations or Autonomous Organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Institutes: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-2 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) 12th class or equivalent qualification from a recognised board or University; and (ii) having at least three years of experience in assisting the officer in routine work.	Departmental Selection Committee Consisting of: 1. Director, National Monuments Authority or Director (NMA), Ministry of Culture - Chairperson; 2. Under Secretary, National Monuments Authority or Under Secretary, Ministry of Culture - Member; 3. Administrative Officer, National Monuments Authority or Section Officer, Ministry of Culture - Member.	Not applicable.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. NMA-RR/2022/UNESCO/MoL(E-59737)]

GURMEET SINGH CHAWLA, Jt. Secy.